Acm अपील सं. 47/25

फर्द अहकाम

गंगाबाई बनाम सम्पूर्ण भी

47/25

क्र आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
25/02/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। वादी के बहस हेतु समय चाहा न्यायहित में समय दिया जाता है प्रतिवादी बहस हेतु उपस्थित। उभयपक्ष को हिदायत दी गई आ.ता. पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें अन्यथा पत्रावली गुणावगुण पर निर्णित की जावेगी। पत्रावली दिनांक 26/02/26 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर म., जयपुर	
26/02/26	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। आज भी बहस नहीं की है अतः पत्रावली गुणावगुण के आधार पर निर्णय/आदेश हेतु नियत की जाती है। वास्ते आदेश दिनांक 27/02/2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर म., जयपुर	
27/02/26	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण का दावा साक्ष्य विहीन व अन्य सबूत सम्बल नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर म., जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 47/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 24.04.2025

1. भंवरी बानो पुत्री स्वर्गीय श्री मुनीर खां
2. खातुन बानो पुत्री स्वर्गीय श्री मुनीर खां
3. जैतुन बानो पुत्री स्वर्गीय श्री मुनीर खां
4. अल्लानुर खां पुत्र स्वर्गीय श्री मुनीर खां
5. जुम्मन खां पुत्र स्वर्गीय श्री मुनीर खां

समस्त जाति– मुसलमान, निवासी– ग्राम खोराबीसल, तहसील– रामपुराडाबडी, जिला– जयपुर। हाल निवासी– मक्का मस्जिद के पास, झोटवाडा, जयपुर।

बनाम

1. संयुक्त कृषि सहकारी समिति लिमिटेड, खोराबीसल जरिये– अध्यक्ष मंत्री सदस्य एवं प्राधिकृत व्यक्ति,पता– प्लाट नम्बर 12, मक्का कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामपुराडाबडी, जिला– जयपुर।
3. उपपंजीयक , रामपुराडाबडी, तहसील– रामपुराडाबडी, जिला– जयपुर।
4. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर ग्रामीण, पता– कमरा नम्बर 609, पांचवी मंजिल, मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर।

<u>वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थिति :–

(1) श्री रमेश मीणा – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री मोहनलाल जाट – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर

दिनांक 27.02.2026

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है वादीगण ने यह वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि ग्राम बे[illegible]बीसल पटवार हल्का नांगल सिरस भू अभिलेख निरीक्षक खोराबीसल तहसील रामपुराडाब[illegible] जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 538 रकबा 2.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540 रकबा 2.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 537/885 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible]/809 रकबा 1.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540/810 रकबा 1.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540/807 रकबा 1.000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 538/808 रकबा 2.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.5200 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

खसरा नम्बर 536 / 884 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494 / 883 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, कुल किता 10 कुल रकबा 11.34 हैक्टेयर स्थित है । उक्त साबिक खसरा नम्बर 173 रकबा 142 बीघा 18 बिस्वा है। जिसके वर्तमान खसरा 494 / 883, 535, 536 / 884, 537 / 885, 538, 538 / 798, 538 / 799, 538 / 800, 538 / 808, 538 / 809, 538 / 812, 538 / 813, 540, 540 / 807, 540 / 810, 540 / 811, 540 / 840, 541, 542, 543 / 815, 544, 544 / 801, 545, 545 / 802, 5452 / 803, 545 / 816, 546, 546 / 804, 546 / 805, 546 / 817, 546 / 818, 546 / 819, 546 / 820, 547, 547 / 806 कुल किता 6 कुल रकबा 36.0200 हैक्टेयर है। उक्त साबिक खसरा नम्बर 173 में से 50 बीघा भूमि जरिये विक्रय पत्र खातेदार नारायण पूत्र बालू से वर्ष 1962 को वादीगण के पिता मुनीर खां पुत्र लालू खां ने क्रय की है वादीगण के अनुसार, उनके पिता ने उक्त भूमि वर्ष 1963 में 'संयुक्त कृषि सहकारी समिति' के गठन के समय समिति को कृषि कार्य हेतु सौंपी थी । वाद का मुख्य आधार यह है कि समिति का विघटन (Dissolution) हो चुका है और विघटन के पश्चात केवल 4.94 हैक्टेयर भूमि ही उनके पिता के नाम दर्ज की गई, जबकि शेष 6.40 हैक्टेयर भूमि अवैध रूप से समिति के नाम ही रहने दी गई ।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली में आगे की कार्यवाही में भाग लेने हेतू अवसर दिया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत 2010 से 2023 एवं 2012 से 2065, खतौनी संवत 1989 से 2009 तक जमाबंदी संवत 2024 से 2026, 2018 से 2021, खसरा गिरदावरी चतुर्थवर्षिय संवत 2017 से 2021, संवत 2013 से 2019, 2050 तक, नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 11.12.1961, नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 11.12.1962, विकय पत्र दिनांक 19.09.1962 की प्रतियां पेश की।

वादी को कई अवसर देने के बाद भी मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया तथा दिनांक 15.10.2025 को साक्ष्य शहादत / साक्ष्य वादी बंद की गई।

वादी एवं प्रतिवादी को बहस हेतू कई अवसर दिया गया। परन्तु उभयपक्ष द्वारा बहस नहीं की गई तथा दिनांक 25.02.2025 को आदेश दिये गये कि आगामी तारीख पेशी पर बहस नहीं करने पर पत्रावली गुणावगुण के आधार पर निर्णित की जावेगी। तदअनुसार वादपत्र गुणागुण के आधार पर निर्णत किया जाता है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा पत्रावली, साक्ष्यों और विधिक प्रावधानों का गहन विश्लेषण निम्नानुसार किया जाता है:

1. वादीगण स्वयं स्वीकार करते हैं कि दिनांक 02–09–1963 को उक्त भूमि का नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 (सहकारी समिति) के नाम खोला गया था । राजस्व रिकॉर्ड (नामान्तरण संख्या 221) के अनुसार, विवादित भूमि पर 'संयुक्त कृषि सहकारी समिति लिमिटेड खोराबीसल' बतौर 'खातेदार' अंकित है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार, एक बार जब भूमि स्वेच्छा से किसी पंजीकृत समिति को हस्तांतरित कर दी जाती है, तो उस भूमि का काश्तकारी अधिकार उस विधिक इकाई (Entity) में निहित हो जाता है। वादीगण के पिता ने स्वयं यह भूमि समिति के उद्देश्यों के लिए समर्पित की थी ।

2. वादीगण का तर्क है कि समिति अपने उद्देश्यों में विफल रही और उसका 'विघटन' (Dissolution) हो गया । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि किसी सहकारी समिति का विघटन 'राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम' के विशिष्ट प्रावधानों के तहत होता है। पत्रावली पर सहकारी विभाग या रजिस्ट्रार का ऐसा कोई आदेश (Final Liquidation Order) प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह प्रमाणित करे कि समिति कानूनी रूप से मृत घोषित हो चुकी है और उसकी संपत्तियों का पुनर्वितरण मूल मालिकों को करने का आदेश पारित हुआ है। बिना किसी सक्षम आदेश के, मात्र यह मान लेना कि समिति "विघटित" है, विधि सम्मत नहीं है।

3. वादीण ने स्वीकार किया है कि सम्वत 2054–2055 (वर्ष 1997–98) के राजस्व रिकॉर्ड में उनके पिता के नाम केवल 4.9400 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज हुई थी । इस इन्द्राज के विरुद्ध वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में या वादीगण ने पिछले 27–28 वर्षों से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। तीन दशक पुराने इन्द्राज को अचानक चुनौती देना केवल 'वाद के कारण' (Cause of Action) को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना प्रतीत होता है, जो कि मर्यादा कानून (Limitation Law) का उल्लंघन है।

4. वादीगण ने आरोप लगाया है कि समिति के पदाधिकारियों ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलकर "मिलीभगत" की, परन्तु पत्रावली पर इस मिलीभगत का कोई भी प्राथमिक दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे कि कोई शिकायत, रिपोर्ट या पूर्व का पत्राचार) उपलब्ध नहीं है।

5. राज्य सरकार के विरुद्ध वाद लाने से पूर्व दो माह का अनिवार्य नोटिस दिया जाना आवश्यक है । वादीगण ने "आपातकालीन" राहत का हवाला देकर नोटिस की छूट मांगी है, परन्तु दशकों पुराने मामले में कोई तात्कालिक संकट सिद्ध नहीं होता है ।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

।। आदेश ।।

प्रस्तुत दावे,दस्तावेजों से स्पष्ट है कि भूमि का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में भी समिति के नाम दर्ज है और वादीगण उक्त भूमि पर अपने स्वत्वाधिकार को सिद्ध करने हेतु कोई 'विघटन डिक्री' या 'पुनः आवंटन पत्र' पेश करने में पूर्णतः विफल रहे हैं । राजस्व न्यायालय सहकारी विभाग के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कर किसी समिति की संपत्ति का बंटवारा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि विभाग द्वारा उसे विधिवत रूप से मुक्त न कर दिया गया हो।

उपरोक्त विस्तृत विवेचना और कानूनी आधारों पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादीगण का दावा साक्ष्य विहीन और अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज (Dismiss) किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 (सहकारी समिति) के नाम वर्तमान राजस्व इन्द्राज यथावत रहेंगे। स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी निरस्त किया जाता है क्योंकि वादीगण विवादित भूमि (6.40 हैक्टेयर) पर अपना कानूनी कब्जा और अधिकार सिद्ध नहीं कर सके हैं।

निर्णय आज दिनांक 27–02–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण सख्या – 11 / 2022
बउनवानी – लालचंद बनाम रामजीलाल वगै0
निर्णय दिनांक :– 27.02.2026

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 47 / 2025

वाद प्रस्तुति दिनांक – 24.04.2025

1. भंवरी बानो पुत्री स्वर्गीय श्री मुनीर खां
2. खातुन बानो पुत्री स्वर्गीय श्री मुनीर खां
3. जैतुन बानो पुत्री स्वर्गीय श्री मुनीर खां
4. अल्लानुर खां पुत्र स्वर्गीय श्री मुनीर खां
5. जुम्मन खां पुत्र स्वर्गीय श्री मुनीर खां

समस्त जाति– मुसलमान, निवासी– ग्राम खोराबीसल, तहसील– रामपुराडाबडी, जिला– जयपुर। हाल निवासी– मक्का मस्जिद के पास, झोटवाडा, जयपुर।

बनाम

1. संयुक्त कृषि सहकारी समिति लिमिटेड, खोराबीसल जरिये– अध्यक्ष मंत्री सदस्य एवं प्राधिकृत व्यक्ति,पता– प्लाट नम्बर 12, मक्का कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामपुराडाबडी, जिला– जयपुर।
3. उपपंजीयक , रामपुराडाबडी, तहसील– रामपुराडाबडी, जिला– जयपुर।
4. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर ग्रामीण, पता– कमरा नम्बर 609, पांचवी मंजिल, मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर।

<u>वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 89 एवं 188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वादीगण का दावा साक्ष्य विहीन और अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज (Dismiss) किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 (सहकारी समिति) के नाम वर्तमान राजस्व इन्द्राज यथावत रहेंगे। स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी निरस्त किया जाता है क्योंकि वादीगण विवादित भूमि (6.40 हैक्टेयर) पर अपना कानूनी कब्जा और अधिकार सिद्ध नहीं कर सके है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27.02.2026 को जारी किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:42 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत–
ओहदा–

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर, मु0 जयपुर

बडनवानी – प्रकरण संख्या – 11 / 2022
लालचंद बनाम रामजीलाल वगैरा
निर्णय दिनांक :– 27.02.2026

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान	4 रूपये		मीजान	4 रूपये	

न्यायालय सहायक कलेक्टर
आमेर

सहायक कलक्टर
आमेर द्वि. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:42 IST
Reason: SelfAttested